RAJYA SABHA

Wednesday, the 6th August, 2003/15 *Sravana*, 1925 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Reduction in holidays

*241. SHRI LALITBHAI MEHTA:†
SHRIMATI SAVITA SHARDA:

Will the Minister of PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCS AND PENSIONS be pleased to state:

(a) the number of days a year, the Government of India employees work considering holidays of Saturdays, Sundays, Gazetted Holidays, Restricted Holidays and various types of leave availed by them;

(b) whether Government have examined the possibility of reducing the Gazetted Holidays by permitting employees of respective religious faiths a holiday on that particular day and avoid closing of Government offices;

(c) whether Government have also examined the possibility of restoring a six day week to increase the number of working days; and

(d) whether Government propose to conduct any study on the effects of observance of so many holidays on developmental works and routine administration of Government of India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI HARIN PATHAK): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lalitbhai Mehtra.

Statement

(a) So far as Central Government Administrative Offices covered by the Five day week system are concerned, employees avail themselves of Saturdays and Sundays (about 104 in a year), two Restricted Holidays and 17 Gazetted Holidays (out of which normally 3-4 holidays fall on Saturdays and Sundays, thereby reducing the effective holidays to an average of 14 per year).

Those Central Government employees who are governed by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 are entitled to 30 days Earned Leave, 20 days Half Pay Leave and 8 days Casual Leave (for administrative offices) per year. These are, however, personal to the employees and are availed by them as per their requirement, subject to sanction of the leave, based on administrative exigencies. Earned Leave if not availed during the year may be carried forward subject to a ceiling of 300 days, Half Pay Leave if not availed during the year may be carried forward without any limit. Casual Leave and Restricted Holidays cannot, however, be carried forward if not availed within the Calendar year. Therefore, the number of days in a year the Government of India employees work vary depending upon the number of days of leave availed by him/her during the year. The maximum number of days Central Government administrative offices remain open in a year is about 247 days.

Other than the Central Government offices functioning on five day week basis a large number of Central Government organisations, including Industrial and Operational Organisations function on six day week basis keeping in view their operational requirements. In fact some organisations related with delivery of essential services, work round the clock. Therefore, the number of days Government employees work in these units, in a year, is essentially dependent on the nature of functions being performed by these units, and the regulations governing the hours of work and leave in those units.

(b) It is not desirable to restrict employees to avail themselves holidays based on religious faiths only.

(c) Consequent to the Fifth Pay Commission Recommendations, the issue pertaining to re-introduction of the six day week working was re-examined. It was, however, decided to continue the five day week system in Central Government Administrative Offices.

(d) The report of the 5th CPC and 2nd National Labour Commission,

on the system of Holidays are available with the Government. Based on these, the Holiday Policy is already under review. It is not proposed to conduct any other study.

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, मैंने प्रश्न के ''डी'' पार्ट में यह पूछा था कि इतनी छुट्टियों का विकास के काम पर क्या असर पड़ रहा है इसके लिए क्या कोई अध्ययन करवाना चाहेंगे या नहीं, लेकिन मंत्री जी ने यह बताया कि इतनी हालीडेज उपलब्ध हैं और उसी पर फिफ्थ पे कमीशन और सैकंड नेशनल लेबर कमीशन के तहत जो रिपोर्ट है उसके आधार पर रेव्यू कर रहे हैं। सभापति जी, विकास की जो प्रक्रिया है उसमें राजकीय आर्थिक और सरकारी तंत्र, दोनों का समन्वय अगर रहता है तो उसके कारण ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मंत्री जी ने छुट्टियों का बताया कि 247 दिन तक सरकारी ऑफिसर्ज काम करते हैं, लेकिन वास्तव में परिस्थिति यह रहती है कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को अगर हम देखेंगे तो पायेंगे कि वह कर्मचारी 201 छुट्टियां अवेल करता है और एक सरकारी कर्मचारी जिसके पास यह फाईल रहती है वह अगर नहीं रहता है तो उसके ऊपर या नीचे के अधिकारी वह फाईल ही नहीं हिलाते, परिस्थिति यह रहती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह क्वश्चन के जवाब में आ गया है। इसको आप रिपीट क्यों कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इसको रेव्यू कर रहे हैं तो रिपोर्ट के ऊपर रेव्यू होगा। तब सब बातों पर अपने आप ही विचार हो जाएगा।

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, मैंने यह पूछा है कि विकास की प्रक्रिया पर इसका जो नेगेटिव असर पड़ रहा है, सरकारी योजनाओं पर अमल नहीं हो रहा है, इसके कारण इसका अध्ययन करवायेंगे या नहीं?

श्री लालू प्रसाद: अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, वह काम कंप्यूटर करेगा।

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, यह सब मैंने अपने उत्तर में कहा है और जहां तक छुट्टियों का सवाल है तो मैंने उसका भी एक विवरण दे रखा है। जब-जब छुट्टियों के बारे में विचार किया जाता है कि उनको बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो उस पर हम सभी मंत्रालयों से और सभी संस्थाओं से राय-मशविरा करके ही कोई निर्णय करते हैं। जैसे फिफ्थ पे कमीशन की रेकमेंडेशंज हमारे पास आई हैं, सैकंड लेबर कमीशन की रेकमेंडेशंज हमारे पास आई हैं, तो उसके आधार पर हम सबसे विचार-विमर्श करके कोई निर्णय करेंगे।

श्री ललितभाई मेहता: सभापति जी, मंत्री जी ने यह बताया कि 247 दिन सरकारी दफ्तर काम करते हैं।

श्री सभापति: अब वह तो बता दिया।

श्री ललितभाई मेहता: लेकिन देखने में यह आता है कि जितने भी दिन सरकारी दफ्तर काम करते हैं, दिल्ली में हमने देखा है कि सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक सरकारी दफ्तर खुलते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी एक-डेढ़ घंटा लेट दफ्तर में आते हैं और एक घंटा पहले चले जाते हैं और रिसैस में भी एक घंटा लंच करते हैं।

श्री सभापति: वह ठीक है।

श्री ललितभाई मेहता: तो वर्क कल्चर डिवेलप करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों का काम के प्रति कुछ कमिटमेंट हो, इसके लिए सरकार क्या सोच रही है?

श्री हरिन पाठक: सर, यह प्रश्न छुट्टियों के बारे में है, फिर भी हमारा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में काफी सोच-विचार करके मंत्रालय को दिशा-निर्देश देता है।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है?

श्री सभापति: नहीं, क्वश्चन का जवाब आ गया।

श्रीमती सविता शारदा: सर, मैं क्वश्चन पूछ रही है कि देश में छुट्टियों की संख्या को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है, भारत सरकार में 1951 में 957 आईएएस अधिकारी थे और आज .... **(व्यवधान)**

श्री सभापति: नहीं, यह क्वश्चन एलाउ नहीं करूँगा।

श्रीमती सविता शारदा: सर, मुझे क्वश्चन तो पूछने दीजिए।

श्री सभापति: आप क्वश्चन करिए जोकि इससे संबंधित हो। यह सप्लीमेंटरी क्वश्चन से संबंधित नहीं है कि आईएएस अधिकारी कितने थे और कितने नहीं थे।

श्रीमती सविता शारदा: सर, उसी के बारे में पूछ रही हूं, मुझे प्रश्न तो आप करने दीजिए।

श्री सभापति: आप सीधा क्वश्चन कर लीजिए।

श्रीमती सविता शारदा: ठीक है। फिर मैं पूछती हूं कि सामान्य नागरिक और सांसदों को क्या जो हमारे अधिकारी हैं, वे उचित समय देंगे ताकि जो मुश्किलें हैं उनके समाधान के लिए समयबद्ध काम हो सकें, इसके लिए क्या कोई कदम उठायेंगें?

श्री सभापति: यह क्वश्चन में कहां आता है।

श्रीमती सविता शारदा: सर, हमारे देश में जो इतनी छुट्टियां हैं, उसमें जो सरकारी लोग हैं वे

दो-तीन छुट्टियां साथ में ही लगा देते हैं। सर, अभी एक और बात है कि जब चुनाव होता है और अगर वह सैटरडे को आता हैं तो संडे को भी कर्मचारी चले जाते हैं। फिर इन छट्टियों को भी जोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं।

श्री सभापति: ठीक है। मंत्री जी, आप इस पर कुछ कह सकते हैं, जवाब है आपके पास?

श्री हरिन पाठक: नहीं, सर। वैसे मैंने पहले ही कहा कि यह छुट्टियों से संबंधित प्रश्न है। सरकार अपने नियमों के अनुसार छुट्टियां घोषित करती है। कर्मचारियों को भी नियम के अनुसार 30 दिन की छुट्टी अर्नड लीव मिलती है, 20 हाफ डेज लीव मिलती हैं, 8 कैजुअल लीव मिलती हैं। इसी तरह जो निश्चित प्रावधान हैं, उसके अनुसार सरकार की छुट्टियां होती रहती हैं।

श्रीमती सविता शारदा: सर, सरकार की तो छुट्टियां होती रहती हैं, लेकिन जो छुट्टियां बढ़ा ली जाती हैं, उसके लिए सरकार का क्या कोई निश्चित प्रोग्राम है? ... (**व्यवधान**)

श्री राजीव शुक्ल: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि विचार करने के बाद यह तय हुआ कि सिक्स डेज का वीक नहीं करना है मायने 6 दिन का वीक नहीं करना है और यह शनिवार की छुट्टी जो है वह बरकरार रखनी है। किस आधार पर यह फैसला लिया गया? किस बेसिस पर फिफ्थ पे कमीशन की रिकमंडेशन को रिजेक्ट किया गया? सेकेण्डली, उन्होंने कहा कि होलीडे पोलिसी रिव्यू की जा रही है तो इस होलीडे पोलिसी की रिव्यू की डैड लाइन क्या है? कब तक यह रिव्यू हो जाएगी और कब तक सरकार की नई होलीडे पोलिसी एनाउन्स हो जाएगी?

SHRI HARIN PATHAK: Sir, the five days' week was introduced in the administrative offices in June, 1985. फिफ्थ पे कमीशन ने अपनी रिकमंडेशन दी और उस रिकमंडेशन में उन्होंने कहा कि यह फाइव डेज के बदले सिक्स डेज का वीक करना चाहिए। उसके बाद हमारी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में तय किया गया कि यह जो 6 दिन का सप्ताह है इसके बदले 5 दिन का कंटीन्यू रखा जाए और जो वर्तमान पॉलिसी है पांच दिन की, वह वह चालू रखी जाए। यह सरकार का फैसला रहा।

श्री राजीव शुक्ल: यह किस आधार पर? क्या ट्रेड यूनियन के दबाव में?

श्री हरिन पाठक: नहीं, किसी के दबाव में नहीं। सब तरफ से सोच-विचार करके, चारों तरफ से सरकार ने मंत्रालयों से पूछा, सरकार ने विभिन्न विभागों से पूछा, सरकार की अपनी राय हुई और सब बैठकर के तब सरकार ने फैसला किया कि जो फाइव डेज वीक है वह कंटीन्यू किया जाए।

श्री राजीव शुक्ल: नई होलीडे पोलिसी कब तक रिव्यू होगी? मंत्री जी ने कहा है नई होलीडे पोलिसी रिव्यू का, सर।

SHRI HARIN PATHAK: That is under consideration.

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, I thank you for allowing me to raise this question. What I would suggest for consideration by the Government is a review of the whole philosophy behind leave for Government servants. We forget the fact that in a country like ours, where people are dependant on the Government for a variety of services, it is the convenience of the people, and, not the convenience of the employees, that should govern the decision as to how many holidays should be given to the Government employees. The whole philosophy has to be turned upside-down, and, if we take this particular point into account that the Government servants exist to render service to the public, then certainly we will have to give them the freedom to approach the Government, at least, on six working days. It is the most obnoxious practice followed in our country. I hope, the positive assurance that the hon. Minister will give about this is making holy days, holidays. Why should, for example, Good Friday, which is a very holy and important day for Christians, be a holiday for the other 98 per cent of the population; why should a holy day of the Jain community be a holiday for the other 99 per cent people. Let each religionist take his holiday and, debit it to the permissible allowance and not claim it as a public holiday.

Sir, this question has been replied saying that it has been reviewed by this committee; it has been gone into in connection with this report. What I request the hon. Minister, to give an assurance, forget about the decisions that have been taken. We all know how these decisions were taken and how everything was given to the Government employees, but, we did not insist on their working as recommended by the Pay Commission, and, forget about it. At least, now, would you have a second look? It is about five years since it has passed. Start reducing the number of religious holidays and change the whole philosophy behind holidays. At least, please give a promise that, at a very early stage, you will review the position.

SHRI HARIN PATHAK: Sir, the hon. and respected Member has previously also written to my Ministry. I endorse what he has written to me. Rajivji has also written to my Ministry. These are the views expressed by the hon. Members. Even in the House also, various views have been expressed by various hon. Members. We are consulting this is under

process-various Departments, Ministries and institutions also. So, when a policy is framed, I will definitely look into what he has suggested.

श्री लालू प्रसाद: सर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप मूल प्रश्न की भावना से अलग हटकर जवाब दे रहे हैं। मूल प्रश्न की भावना क्या है?

श्री सभापति: लालू जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री लालू प्रसाद: मैं पहले भूमिका दे रहा हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न में लिखा है कर्मचारियों के बारे में, यानी यह सब गाज हम लोग गिरा रहे हैं कर्मचारियों के ऊपर। 'पदाधिकारियों' इसमें नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। और जो सारे कर्मी हैं, जब पांचवां वेतन आयोग लागू हुआ, रातों-रात हुआ। ...(**व्यवधान**).

श्री सभापति: यह मान लीजिए इसमें सब शामिल हैं।

श्री लालू प्रसाद: सर, सरकार ने जब हर विभाग को कम्प्यूटराइज्ड किया है तो इससे हाथ घटेंगे और मशीनें काम करेंगी और आपने कहा भी है कि हम रोजगार के अवसर और नियुक्तियां कम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह विचार कर रही है कि सेवा-निवृत्ति की आयु, जो आपने 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी है और केन्द्रीय वेतनमान में उनके लिए टिल डैथ पेंशन कर दी गई है, तो क्या आप सेवा-निवृत्ति की आयु 60 साल से घटाकर 58 साल करने का इरादा रखते हैं या नहीं? मेरा कहना है कि उनको दो साल पहले ही छुट्टी दे दी जाए। तो इस बारे में आपने क्या सोचा है और सेवा-निवृत्ति की आयु आप 58 साल करने पर विचार कर रहे हैं या नहीं ताकि नए युवक-युवतियों को काम मिल सके? रिक्तियां होंगी तो नए ऐनरजेटिक लोग आएंगे, जिनमें ऐफिशिएंसी होगी, वे काम कर सकेंगे।

श्री सभापति: ठीक है, लालू जी, बैठिए।

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, जैसा मैंने पहले कहा, लालू जी ने अपनी बात अपने ढंग से रखी है। यह प्रश्न छुट्टियों के संदर्भ में है ... (**व्यवधान**) ... उन पर पुनर्विचार के संदर्भ में है। ... (**व्यवधान**) ... मैं आता हूं उस पर।

प्रश्न यह है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की सर्विस की जो आयु है वह 58 साल है, वह बढ़ाई जाए या कम की जाए और यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। उसके बारे में सरकार अलग ढंग से विचार करती है और जब-जब भी इस पर विचार करती है तो वह एक नीति के रूप में सामने आता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद: छुट्टी चाहने वाले लोगों की हम तो मदद कर रहे हैं। उनकी पहले ही छुट्टी कर दीजिए, दो साल पहले छुट्टी कर दीजिए।

श्री सभापति: लालू जी, ये कह रहे हैं कि सरकार विचार करेगी।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन होना चाहिए।

श्री सभापति: आपने इसे अपनी स्टेट में लागू कर दिया है क्या?

श्री लालू प्रसाद: हम देश से अलग नहीं हैं न।

श्री सभापति: नैक्सट क्वेशन। क्वेश्चन नं० 242.

Establistment of Fluoride Mitigation Centre in Gujarat

*242. DR. A. K. PATEL:†
PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased state:

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat has submitted a proposal to the Ministry of Rural Development for establishing a Fluoride Mitigation Centre;

(b) if so, whether any decision has been taken thereon; and

(c) if not, by when the decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. In June 2002, Chief Minister, Gujarat had submitted a note to Prime Minister raising the issue of setting up a Fluoride Mitigation Centre in Gujarat. The Government of India was already considering setting up of such a Centre on the basis of recommendations of a Central Task Force for Flurosis Mitigation constituted in 2000 for purposes of evolving appropriate strategy for tackling the problem in a time the bound manner. All India Institute of Hygiene and Public Health (AIIHPH), Kolkata was selected for preparation of a Project Document for establishment of Centre of Excellence for Fluoride Mitigation. AIIHPH had submitted a draft Project Document for setting up of a Fluoride Mitigation Centre in June 2002. The

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. A.K. Patel.